

पटना उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में

रवि कुमार

बनाम

बिहार राज्य और अन्य

2023 का आपराधिक रिट क्षेत्राधिकार वाद सं. 326

15 फरवरी 2024

(माननीय न्यायमूर्ति श्री पी.बी. भजंत्री एवं माननीय न्यायमूर्ति श्री रमेश चंद मालवीय)

विचार के लिए मुद्दा

याचिकाकर्ता को हिंदी में बहस करने की अनुमति देना सही है या नहीं?

हेडनोट्स

भारतीय संविधान, 1950—अनुच्छेद 348—सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों में तथा अधिनियमों, विधेयकों आदि के लिए प्रयोग की जाने वाली भाषा—माननीय सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय में प्रयोग की जाने वाली भाषा तब तक अंग्रेजी में होगी जब तक संसद अन्यथा उपबंध न कर दे—राज्यपाल राष्ट्रपति की पूर्व सहमति से हिंदी भाषा के प्रयोग को अधिकृत कर सकते हैं।

निर्णय: पूर्ण पीठ का निर्णय इस मामले में उपयुक्त है कि अनुच्छेद 226 और 227 के तहत हिंदी में याचिकाएं दायर करने के साथ-साथ अंग्रेजी अनुवाद भी प्रस्तुत करना होगा—यदि अनुच्छेद 226 और 227 के तहत याचिका हिंदी (देवनागरी लिपि) में दायर की

जाती है और न्यायालय अंग्रेजी में उसकी अनुवादित प्रति पर जोर देता है, तो याचिकाकर्ता उसे उपलब्ध कराने के लिए बाध्य है। (पैराग्राफ 5, 14 और 15)

न्याय दृष्टान्त

प्रबंधक समिति बनाम जिला विद्यालय, एआईआर 1977 सभी 164; मधु लिमये और अन्य बनाम वेद मूर्ति और अन्य, एआईआर 1971 एससी 2608—पर भरोसा किया गया।

कृष्णा यादव बनाम बिहार राज्य एवं अन्य (एफबी), सीआर 2015 का डब्ल्यूजेसी नंबर 435—संदर्भित किया गया।

अधिनियमों की सूची

भारत का संविधान, 1950

मुख्य शब्दों की सूची

भारत का संविधान, 1950, अनुच्छेद 348, न्यायालय की भाषा, हिंदी, अनुच्छेद 226, अनुच्छेद 227

प्रकरण से उत्पन्न

11.12.2023 को पारित आदेश को वापस लेने के लिए

पक्षकारों की ओर से उपस्थिति

याचिकाकर्ता की ओर से: श्री इंद्रदेव प्रसाद, अधिवक्ता।

प्रतिवादियों की ओर से: श्री अमित प्रकाश, जी.ए. 13 के ए.सी.

आई.ए. की ओर से: श्री हरपाल सिंह राजा (व्यक्तिगत रूप से)

रिपोर्टर द्वारा हेडनोट बनाया गया: आभाष चंद्र, अधिवक्ता

माननीय पटना उच्च न्यायालय का निर्णय/आदेश

पटना उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में

2023 का आपराधिक रिट क्षेत्राधिकार वाद सं. 326

थाना कांड संख्या-14 वर्ष-2021 थाना- नारदीगंज जिला- नवादा से उत्पन्न

=====

रवि कुमार, उम्र-21 वर्ष, पुरुष, पुत्र- बृजनंदन प्रसाद उर्फ ब्रजनंदन प्रसाद, निवासी
गांव - अकौना, थाना- मुफस्सिल, जिला - नवादा

... ..याचिकाकर्ता/ओं

बनाम

1. बिहार राज्य, जिला मजिस्ट्रेट, नवादा, बिहार के माध्यम से
2. गृह सचिव, बिहार सरकार, पटना, बिहार
3. पुलिस महानिदेशक, बिहार सरकार, पटना, बिहार
4. पुलिस अधीक्षक, नवादा, बिहार
5. पुलिस उपाधीक्षक, नवादा सदर, बिहार
6. स्टेशन हाउस ऑफिसर, नरडीगंज, नवादा बिहार
7. मोहन कुमार, पुलिस उपनिरीक्षक, नारदीगंज थाना- नवादा, बिहार

उत्तरदाता/ओं

=====

उपस्थिति :

याचिकाकर्ता/ओं के लिए : श्री इन्द्रदेव प्रसाद, विद्वान अधिवक्ता
 प्रत्यर्थी/ओं के लिए : श्री अमित प्रकाश, जी.ए. 13 के ए.सी.
 आई.ए. के लिए : श्री हरपाल सिंह राजा (व्यक्तिगत रूप से)

=====

न्यायालय: माननीय न्यायमूर्ति श्री पी.बी. भजंत्री

और

माननीय न्यायमूर्ति श्री रमेश चंद मालवीय

सीएवी आदेश

(प्रति: माननीय न्यायमूर्ति श्री रमेश चंद मालवीय)

6 15-02-2024

2024 के आई.ए. सं. 5 पर आदेश

याचिकाकर्ता और प्रतिवादी के विद्वान वकील को सुना।

2. याचिकाकर्ता ने इस न्यायालय द्वारा 11.12.2023 को पारित आदेश को वापस लेने का अनुरोध किया है।

3. वर्तमान आई.ए. याचिकाकर्ता द्वारा याचिकाकर्ता को हिंदी में मामले पर बहस करने और हिंदी (देवनागरी लिपि) में दायर रिट याचिका पर भी विचार करने की अनुमति देने के लिए दायर किया गया है। याचिकाकर्ता के वकील द्वारा 08.02.2023 को दायर वर्तमान अंतर्वर्ती आवेदन पर विचार करते हुए जो हिंदी देवनागरी लिपि में तैयार किया गया है जो मुद्दा यहाँ है। विद्वान वकील ने अपने आई. ए. में कहा है कि सी. डब्ल्यू. जे. सी. संख्या 2825 वर्ष 1995 का (स्वर्ण सिंह बग्गा बनाम एन. एन. सिंह, पंजीयक) वर्तमान मुद्दे को शामिल करता है और मिसाल का पालन किया जाना चाहिए।

4. वर्तमान मामले को ध्यान में रखते हुए, वर्तमान आई. ए. को तय करने में संवैधानिक प्रावधान के कई मुद्दों पर विचार किया जाना है। जैसे भारत के संविधान का अनुच्छेद 348 -

“348. उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों में और अधिनियमों, विधेयकों आदि के लिए उपयोग की जाने वाली भाषा।

1. इस भाग के पूर्वगामी प्रावधानों में कुछ भी होने के बावजूद, जब तक कि संसद कानून द्वारा अन्यथा प्रावधान नहीं करती है -

क) उच्चतम न्यायालय और प्रत्येक उच्च न्यायालय में सभी कार्यवाहियां,

ख) आधिकारिक ग्रंथ-

- i. संसद के किसी भी सदन में या किसी राज्य के विधानमंडल के सदन या किसी भी सदन में पेश किए जाने वाले सभी विधेयकों या उनमें संशोधनों के बारे में,
- ii. संसद या किसी राज्य के विधानमंडल द्वारा पारित सभी अधिनियमों और राष्ट्रपति या किसी राज्य के राज्यपाल द्वारा प्रख्यापित सभी अध्यादेशों का, और
- iii. इस संविधान के तहत या संसद या किसी राज्य के विधानमंडल द्वारा बनाए गए किसी कानून के तहत

जारी किए गए सभी आदेशों, नियमों, विनियमों
और उप-कानूनों के बारे में,

अंग्रेजी भाषा में होगा।

2. खंड (1) के उपखंड (क) में किसी बात के होते हुए भी, किसी राज्य का राज्यपाल, राष्ट्रपति की पूर्व सहमति से, उस राज्य में स्थित उच्च न्यायालय की प्रधान पीठ की कार्यवाही में हिंदी भाषा या राज्य के किसी भी आधिकारिक उद्देश्यों के लिए उपयोग की जाने वाली किसी अन्य भाषा के उपयोग को अधिकृत कर सकता है, जिसका उस राज्य में प्रमुख स्थान है:

बशर्ते कि इस खंड की कोई बात ऐसे उच्च न्यायालय द्वारा पारित या किए गए किसी निर्णय, डिक्री या आदेश पर लागू नहीं होगी।

3. खंड (1) के उपखंड (ख) में किसी बात के होते हुए भी, जहां किसी राज्य के विधानमंडल ने राज्य के विधानमंडल में या राज्य के राज्यपाल द्वारा प्रख्यापित अध्यादेशों में या उस उपखंड के पैराग्राफ (iii) में निर्दिष्ट किसी आदेश, नियम, विनियम या उप-कानून में पेश किए गए विधेयकों या पारित अधिनियमों में उपयोग के लिए अंग्रेजी भाषा के अलावा कोई अन्य भाषा निर्धारित की है, वहां उस

राज्य के राज्यपाल के अधिकार के तहत उस राज्य के राजपत्र में प्रकाशित अंग्रेजी भाषा में उसका अनुवाद उसका अधिकृत पाठ माना जाएगा। इस लेख के तहत अंग्रेजी भाषा।”

5. भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 में यह उल्लेख किया गया है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय में उपयोग की जाने वाली भाषा अंग्रेजी में होगी जब तक कि संसद अन्यथा कानून नहीं बनाती। भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 (2) में कहा गया है कि किसी राज्य का राज्यपाल राष्ट्रपति की पूर्व सहमति से हिंदी भाषा के उपयोग को अधिकृत कर सकता है।

6. हमारे संविधान का मसौदा केवल एक दिन में तैयार नहीं किया गया है, इसमें 2 साल 11 महीने और 17 दिन लगे, और हर लेख के लिए बहस, हर खंड और हर छोटे-छोटे विवरण घंटों तक चले, अंग्रेजी को अदालत की भाषा के रूप में तय करने के कारण को समझने के लिए अनुच्छेद 348 पर मसौदा समिति के विचारों को समझना महत्वपूर्ण है, श्री गोपालस्वामी अय्यंगार ने आगे कहा कि हम एक बार में अंग्रेजी भाषा को छोड़ने का जोखिम नहीं उठा सकते।

"हमें अंग्रेजी भाषा को कई वर्षों तक जारी रखना पड़ा जब तक कि हिंदी अपने लिए एक स्थान स्थापित नहीं कर पाती, न केवल इसलिए कि यह एक भारतीय भाषा है, बल्कि इसलिए कि एक भाषा के रूप में यह उन सभी के लिए एक कुशल साधन होगी जो हमें भविष्य में कहना और करना है और जब तक कि हिंदी खुद को उस स्थिति में स्थापित नहीं करती है जिसमें अंग्रेजी आज संघ के

उद्देश्यों के लिए खड़ी है। इसके बाद हम उस भाषा के सवाल पर विचार करने के लिए आगे बढ़े जिसका उपयोग हमारे विधानमंडलों और देश के सर्वोच्च न्यायालयों में किया जाना चाहिए। बहुत विचार-विमर्श और चर्चा के बाद, यह निष्कर्ष निकाला गया कि जहां संघ की भाषा 'हिंदी' का उपयोग केंद्रीय विधानमंडल में बहस, चर्चा आदि के लिए किया जा सकता है, और जहां राज्य की भाषा का उपयोग राज्य विधानमंडल में समान उद्देश्यों के लिए किया जा सकता है, हमारे लिए यह आवश्यक था कि अगर हम अपने कानूनों के पाठ और अदालतों में उस पाठ की व्याख्या के संबंध में मौजूदा संतोषजनक स्थिति को बनाए रखने जा रहे हैं, तो अंग्रेजी वह भाषा होनी चाहिए केंद्रीय विधानमंडल के जिसमें कानून, चाहे वह विधेयकों और अधिनियमों के रूप में हो या नियमों और आदेशों के रूप में और न्यायाधीशों द्वारा पारित निर्णयों की व्याख्या की जाए। उच्च न्यायालय में आने वाले कई वर्षों तक अंग्रेजी में होने चाहिए। अपने हिस्से के लिए मुझे लगता है कि यह आने वाले कई वर्षों तक रहना होगा। ऐसा इसलिए नहीं है कि हम इन उद्देश्यों के लिए अंग्रेजी भाषा को हर कीमत पर रखना चाहते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि जिन भाषाओं को हम पहचान सकते हैं। संघ के उद्देश्यों और जिन भाषाओं को हम राज्य के उद्देश्यों के लिए पहचान सकते हैं, वे उन उद्देश्यों के लिए पर्याप्त रूप से सटीक नहीं हैं जिनका

मैंने उल्लेख किया है। कानून और अदालतों द्वारा कानूनों की व्याख्या के लिए।

7. आम जनता के लिए न्यायालय की भाषा के रूप में अंग्रेजी का समर्थन करने वाले सर्वोच्च न्यायालय के माननीय न्यायाधीशों ने इस मुद्दे पर अपने विचार दिए हैं -

माननीय न्यायमूर्ति श्री वाई. वी. चंद्रचूड, भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश -

“न तो उच्चतम न्यायालय और न ही उच्च न्यायालयों को अपने निर्णय हिंदी में देने के लिए कहा जाना चाहिए। इन अदालतों के न्यायाधीश पूरे भारत से आते हैं और वे सभी हिंदी से परिचित नहीं हैं। अंग्रेजी भाषा अब दुनिया की भाषा के रूप में महत्व प्राप्त कर रही है। हमें नई पीढ़ी को अंग्रेजी भाषा के लाभ से वंचित नहीं करना चाहिए।

माननीय न्यायमूर्ति के. टी. थॉमस

“सभी कानूनी पत्रिकाओं सहित विभिन्न उच्च न्यायालयों में शेष सभी कानूनी पुस्तकें। ये अंग्रेजी भाषा में हैं और उन सभी पुस्तकों के अनुवाद में करोड़ों रुपये खर्च होंगे। जब हमारे पास गरीब लोगों की तत्काल जरूरतों को पूरा करने के लिए पर्याप्त धन नहीं है, तो यह केवल कुछ भाषाई कट्टरपंथियों को संतुष्ट करने के लिए भारी राशि खर्च करना सार्वजनिक धन की बर्बादी होगी।”

8. प्रबंधक समिति के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय प्रबंधक समिति बनाम जिला विद्यालय ए.आई.आर. 1977 ए.एल.एल 164 ने माना है कि

"एक बार राज्यपाल ऐसी अधिसूचना जारी करते हैं, एक व्यक्ति अनुच्छेद 226 के तहत याचिका लिखने के लिए अधिसूचना द्वारा निर्धारित भाषा का उपयोग करने का कानूनी अधिकार प्राप्त करता है।

9. 9 मई, 1972 की अधिसूचना को राज्यपाल द्वारा एक अपवाद बताते हुए पारित किया गया था कि अंग्रेजी के अलावा हिंदी का वैकल्पिक उपयोग भारत के संविधान की धारा 227 और कर मामलों से उत्पन्न संदर्भों के लिए अनुमत है। उक्त अधिसूचना यहाँ नीचे दी गई है:

मंत्रिमंडल (राजभाषा) सचिवालय

अधिसूचना

9 मई, 1972

सं० 31 हि 3-5043168.....185 रा० संविधान के अनुच्छेद 348 के खंड (2) एवं आफिसियल लैंग्वेज ऐक्ट, 1963 (अधिनियम 19, 1963) की धारा 7 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्यपाल राष्ट्रपति की पूर्व सम्मति से, उच्च न्यायालय में निम्नांकित कार्यवाहियों के लिए हिन्दी भाषा का वैकल्पिक प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करते हैं:-

(1) पटना उच्च न्यायालय के समक्ष दीवानी तथा फौजदारी मामलों में बहस करने के लिए।

(2) शपथ-पत्रों सहित आवेदन प्रस्तुत करने के लिये:

किन्तु अपवाद स्वरूप भारतीय संविधान के अनुच्छेद 226 और 227 के अधीन प्रस्तुत किए जाने वाले आवेदनों के लिए अंग्रेजी का प्रयोग किया जाता रहेगा। आवेदनों से संलग्न अनुबंध का अंग्रेजी में होना आवश्यक नहीं होगा। इसी प्रकार का निर्देश (टैक्स रेफरेंसेज) से संबंधित आवेदन भी केवल अंग्रेजी में प्रस्तुत किये जाते रहेंगे। खास-खास मामलों में, पटना उच्च न्यायालय हिन्दी के कागजात का अंग्रेजी में अनुवाद कराने का आदेश दे सकेगा।

(3) पटना उच्च न्यायालय द्वारा पारित या दिए जाने वाले किसी निर्णय डिक्री या आदेश के लिये किन्तु जहां कोई निर्णय डिक्री या आदेश हिन्दी में पारित किया या दिया जाएगा, वहां पटना उच्च न्यायालय के प्राधिकार से निकाला गया अंग्रेजी अनुवाद साथ में दिया जायेगा।

10. कृष्णा यादव बनाम बिहार राज्य एवं अन्य (एफबी) के मामले में सीआर डब्ल्यूजेसी संख्या 435/2015 दिनांकित 30.04.2019 में, माननीय मुख्य न्यायाधीश ने स्पष्ट रूप से मामले का फैसला सुनाया है और इसे निम्नानुसार माना गया है:

"स्वर्ण सिंह बग्गा (उपरोक्त) के मामले में 9 मई, 1972 की अधिसूचना की व्याख्या करने के लिए आगे बढ़ते हुए निर्णय इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि वाक्यांश = इसी प्रकार = समान रूप से = समानता "का सही अर्थ निर्मित = केवल संयोजक "शब्द के साथ लगाया गया है, जिसका अर्थ है कि अधिसूचना भारत के संविधान के 226 और 227 के तहत रिट याचिकाओं और कर संदर्भों के संबंध में एक वर्गीकृत स्पष्ट अपवाद के साथ अपने आवेदन में स्पष्ट है। मुझे इससे असहमत होने का कोई कारण नहीं मिलता है क्योंकि व्याख्या का सुनहरा नियम वैधानिक प्रावधान को उसके शाब्दिक विवरणों के साथ पढ़ना है जिसके लिए इसे तैयार किया गया है। मेरी राय में, इन तीन श्रेणियों के संबंध में हिंदी को संबंधित भाषा में वैकल्पिक भाषा के रूप में प्रदान नहीं किया गया है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 और 227 के तहत रिट याचिकाएं और कर संदर्भ। 9 मई, 1972 की अधिसूचना में उपयोग किए गए शब्दों के स्पष्ट अर्थ के अनुसार आधिकारिक उपयोग के लिए प्रस्तुत किए गए ऐसे अभिवचन उक्त अधिसूचना के अनुसार अंग्रेजी में आवश्यक हैं और जो उच्च न्यायालय के नियमों द्वारा मजबूत किए गए हैं। मेरी सुविचारित राय में, यह कहना उचित नहीं होगा कि हिंदी देवनागरी लिपि का उपयोग करने के लिए 9 मई, 1972 की अधिसूचना में कोई निषेध नहीं था। अधिसूचना में केवल यह नहीं कहा

गया है कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 और 227 के तहत याचिकाओं के साथ-साथ कर संदर्भों को केवल अंग्रेजी में प्रस्तुत किया जाएगा। यह स्पष्ट रूप से अंग्रेजी को छोड़कर हिंदी के उपयोग को प्रतिबंधित नहीं करता है। एक वादी के लिए हिंदी में अपनी दलीलें प्रस्तुत करना खुला है, लेकिन इसका आधिकारिक पाठ अंग्रेजी में होना चाहिए जैसा कि अधिसूचना में प्रदान किया गया है।”

11. उपरोक्त मामले में माननीय मुख्य न्यायाधीश ने इस तर्क की पुष्टि की कि 9 मई, 1972 की अधिसूचना में कोई दुर्बलता नहीं है। माननीय मुख्य न्यायाधीश ने यह भी माना है कि उक्त अधिसूचना में अनुच्छेद 226 और 227 के तहत प्रस्तुत याचिकाओं के संबंध में एक अपवाद शामिल है और **स्वर्ण सिंह बग्गा (उपरोक्त)** मामले में निर्णय पारित किया गया यह देखते हुए कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 और 227 के तहत एक याचिका या कर संदर्भ हिंदी में दायर किया जा सकता है, लेकिन इसके साथ एक अंग्रेजी संस्करण भी होना चाहिए जो सभी कानूनी उद्देश्यों के लिए याचिका का प्रामाणिक संस्करण होगा। इसके अलावा, पूर्ण पीठ ने माननीय मुख्य न्यायाधीश द्वारा दी गई राय के लिए उनकी मंजूरी का भी समर्थन किया।

12. **मधु लिमये और एक अन्य बनाम वेद मूर्ति और अन्य ए. आई. आर. 1971 एस. सी. 2608** के मामले में, सर्वोच्च न्यायालय ने उन्होंने निम्नलिखित कथन किया:-

“अटॉर्नी जनरल, श्री डाफ्टरी, जो उनका विरोध कर रहे हैं और पीठ के कुछ सदस्य कल हिंदी में की गई दलीलों को समझ नहीं

पाए।इन परिस्थितियों में, श्री राज नारायण को हिंदी में अपनी दलीलें जारी रखने की अनुमति देना व्यर्थ है।”

13. इस प्रकार मधु लिमये और एक अन्य बनाम वेद मूर्ति और अन्य (उपरोक्त) ने हिंदी में बहस करने की अनुमति मांगने के अनुरोध को अस्वीकार कर दिया। यह सभी जानते हैं कि इस न्यायालय में विभिन्न राज्यों के रहने वाले माननीय न्यायाधीशों का विविधीकरण किया गया है, जहां पढ़ने/लिखने/बोलने के लिए विभिन्न भाषाओं का उपयोग किया जाता है। भारत एक ऐसा देश नहीं है जो केवल एक भाषा का उपयोग करता है, भारत एक बहुभाषी देश है और सटीक रूप से, भारत एक ऐसा देश है जहाँ 22 आधिकारिक भाषाएँ हैं और अगर हम आगे विस्तार से देखें, तो हमारे देश में 780 से अधिक भाषाएँ हैं। संविधान के अनुच्छेद 343 के तहत हिंदी संघ की आधिकारिक भाषा है। हम 9 मई, 1972 की अधिसूचना और फैसले के खिलाफ नहीं जा रहे हैं। कृष्ण यादव बनाम बिहार राज्य और अन्य (एफ. बी.) (उपरोक्त) जो हम पर बाध्यकारी है।

14. उपरोक्त दलीलों को ध्यान में रखते हुए, पूर्ण पीठ का निर्णय उपयुक्त रूप से लागू होता है क्योंकि अनुच्छेद 226 और 227 के तहत हिंदी में याचिकाएं दायर करने के साथ अंग्रेजी अनुवाद भी होगा। वर्तमान मामले पर आते हुए, हम पूर्ण पीठ के फैसले से बाध्य हैं और इस तरह याचिकाकर्ताओं द्वारा दायर वर्तमान आई. ए. हिंदी में है और इस अदालत में इसके साथ अनुवादित अंग्रेजी प्रति के साथ इसका समर्थन नहीं किया गया है। इसके द्वारा आई.ए. को खारिज कर दिया जाता है। न्यायालय एतद्वारा याचिकाकर्ता को इस न्यायालय के समक्ष दायर याचिका का अनुवादित संस्करण दाखिल करने का निर्देश देता है। यह न्यायालय 4 सप्ताह के भीतर ऐसा न करने पर वर्तमान रिट याचिका को तदनुसार खारिज कर दिया जाएगा।

15. हम एतद्द्वारा यह भी टिप्पणी करते हैं कि यदि अनुच्छेद 226 और 227 के तहत कोई याचिका हिंदी (देवनागरी लिपि) में दायर की जाती है और न्यायालय उसी की अंग्रेजी में अनुवादित प्रति पर जोर देता है, तो याचिकाकर्ता उसको प्रदान करने के लिए कर्तव्यबद्ध है।

(रमेश चंद मालवीय, न्यायमूर्ति)

(पी.बी. भजंत्री, न्यायमूर्ति)

ब्रजेश कुमार/-

खंडन (डिस्क्लेमर)- स्थानीय भाषा में निर्णय के अनुवाद का आशय, पक्षकारों को इसे अपनी भाषा में समझने के उपयोग तक ही सीमित है और अन्य प्रयोजनार्थ इसका उपयोग नहीं किया जा सकता । समस्त व्यवहारिक, कार्यालयी, न्यायिक एवं सरकारी प्रयोजनार्थ, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रमाणिक होगा साथ ही निष्पादन तथा कार्यान्वयन के प्रयोजनार्थ अनुमान्य होगा।